

5649




647222


किरायानामा-

किरायानामा तीस वर्ष की अवधि के लिए, जिसपर स्टाम्प औसत वार्षिक किराये के छः गुणे मूल्य अंकन 9,900/- रूपया पर अंकन 1000/- रूपया का अदा किया गया है।

यह किरायानामा आज हाईटैक इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल मढवाल पुत्र श्री सीताराम मढवाल निवासी 77डी, पॉकेट-सी, मयूर विहार, फेज-2, दिल्ली प्रथम पक्ष (किरायेदार) एवं मैसर्स आनन्द एंज्यूकेशनल सोसायटी आर-2/83, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री आनन्द प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी आर-2/83, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष (मालिक सम्पत्ति) के मध्य किया गया।

इस प्रलेख में पक्षकारों के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक प्रतिनिधि-गण एवं स्थापान्न सम्मिलित समझे जावेंगे।







275

विदित होकि खाली भूमि क्षेत्रफल 22,538.75 वर्ग गज अर्थात 18844.64 वर्ग मीटर निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नम्बरान 766, 768 एवं 773 स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-24, देहली हापुड बाईपास रोड, ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद की द्वितीय पक्ष सोसायटी उपरोक्त विक्रय पत्रों द्वारा क्रय करके अकेली मालिक और काबिज है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उनकी उपरोक्त भूमि को इन्स्टीट्यूट हेतु अंकन 1650/-रूपया (एक हजार छःसौ पचास रूपया) वार्षिक किराये की दर से दि० 01-01-2006 ई० से तीस वर्ष की अवधि के लिए निम्न लिखित शर्तों पर किराये पर ली हुई है, लेकिन लिखित में कोई प्रलेख न होने के कारण यह किराया नामा आज की तिथि में निष्पादित किया जा रहा है। निम्नलिखित शर्तें पक्षकारों ने अपनी खुशी, रजामंदी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों से बिना किसी बहकाव व धमकाव के प्रभावित होते हुए तय की है, जिनके पक्षकारान व उनके उत्तराधिकारीगण पाबन्द रहेंगे।

1- यह कि पक्षकारों के मध्य उक्त वर्णित भूमि की किरायेदारी दिनांक 01-01-2006 ई० [एक जनवरी सन दो हजार छः ई०] से प्रारम्भ हुई है, जो तीस वर्ष की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 31-12-2035 ई० [इकत्तीस दिसम्बर सन दो हजार पैंतीस ई०] तक कायम रहेगी।







2- यह कि पक्षकारों के मध्य उक्त वर्णित भूमि का किराया अंकन 1650/- रूपया (एक हजार छः सौ पचास रूपया) वार्षिक तय पाया है दौरान मियाद किरायेदारी किराये में कम या अधिक करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा।


3- यह कि प्रथम पक्ष तय शुदा किराया अंकन 1650/- रूपया (एक हजार छः सौ पचास रूपया) हर वर्ष पेशगी द्वितीय पक्ष को अदा करते रहेंगे।


4- यह कि प्रथम पक्ष किरायेदार किराये पर ली हुई उपरोक्त भूमि पर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने इन्स्टीट्यूट के लिए किसी प्रकार का कोई स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण कर सकेंगे।

5- यह कि प्रथम पक्ष किरायेदार उपरोक्त भूमि में किसी अन्य को शिकमी किरायेदार आबाद नहीं करेंगे यदि ऐसा करेंगे तो प्रथम पक्ष व शिकमी किरायेदार दोनों बेदखली के योग्य होंगे।

7- यह कि प्रथम पक्ष बाद समाप्ति मियाद किरायेदारी तीस वर्ष उक्त भूमि को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके द्वितीय पक्ष का कब्जा वास्तविक रूप से करा देंगे अन्यथा प्रथम पक्ष हर दशा में बेदखली के योग्य होंगे।


8- यह कि दौरान मियाद किरायेदारी समय पर किराया अदा करते रहने की दशा में द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को प्रथम पक्ष से खाली नहीं करा सकेंगे।







Sanjay Kumar





273


9- यह कि यदि प्रथम पक्ष दौरान मियाद किरायेदारी उपरोक्त भूमि को अपने कब्जे किरायेदारी से छोड़ना चाहेंगे तो एक माह पूर्व लिखित में सूचना देकर उक्त भूमि को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके द्वितीय पक्ष का कब्जा वास्तविक रूप से करा देंगे।


10- यह कि दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न हर विवाद का निबटारा जनपद गाजियाबाद न्यायालय द्वारा ही कराया जा सकेगा।

अतः यह किरायानामा तीस वर्ष की अवधि के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

सीमा उपरोक्त भूमि-

पूरब- नाली व चकरोड,
पश्चिम- राष्ट्रीय राजमार्ग-24,
उत्तर- भूमि मिलकियती श्री आनन्द प्रकाश आदि,
दक्षिण- भूमि मिलकियती श्री राजप्रकाश,






गवाह:

{फूलचन्द}


पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 108ए,
शालीमार बाग, बी.डी. फ्लैट मिल के पीछे,
अम्बाला कैन्ट।

गवाह 
{चन्द्र शेखर}


पुत्र श्री ऊदल सिंह निवासी
ग्राम व डा0 बारगांव,
जिला बुलन्दशहर।

दिनांक: 24-06-2006 ई0,

मसौदा संजय कुमार बंसल एडवोकेट
90, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।


Sanjay Kumar Bansal
Advocate
Ghaziabad


Chandra Shekhar
Advocate
Ghaziabad


Sanjay Kumar Bansal
Advocate
Ghaziabad

(272)